

76



Rs-30/-

- 1- मुस. तिजौ आ बिधवा धर्म पत्नी स्व. रामपूयाग कुषावाहा उम्री 58 ब
- 2- रामबदन कुषावाहा आत्मज स्व. रामपूयाग कुषा० उम्री लगभग 32 वर्ष
- 3- रामविशोर तनय स्व. रामपूयाग कुषावाहा उम्री लगभग 28 वर्ष ।
- 4- राजेश कुमार तनय स्व. रामपूयाग कुषावाहा उम्री लगभग 25 वर्ष ।
सभी निवासी ग्राम मांजन राममनोहर तहसील हनुमना रीवा म०प्र०
- 5- रामसुमेर तनय स्व. जगमोहन कुषावाहा उम्री लगभग 66 वर्ष पेसाकृषि
नि०ग्राम मांजन राममनोहर थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला
रीवा ₹म०प्र०॥ हाल मुकाम लालमांटी चण्दमारी तलैया धाना
घमापुर तहसील एवं जिला जबलपुर ₹म०प्र०॥ -----आवेदकगण
बनाम

- 1- श्री शंभु प्रसाद कुषावाहा आत्मज स्व. प्राणपति कुषावाहा उम्री
लगभग 58 वर्ष पेसाकृषि नि०ग्राम मांजन राममनोहर तहसील हनुमना
जिला रीवा ₹म०प्र०॥
- 2- म० प्र० शासन ----- अनावेदकगण
निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-रा०सं०1

निगरानी बिरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
रा०नि०बृत्त खटखरीतह० हनुमना जिला रीवा
म०प्र० द्वारा प्र०क०/28/आ०2/16-17 में पाी
आदेश दिनांक 23-6-017 तेइस जून सन्
दो हजार सत्रह ॥

-५-

महानुभाव,

अन्य के अतिरिक्त जो बक्त तर्क पेश किए जावेंगे, निगरान
आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित है :---

- 1- यह कि माननीय/ बिद्वान रा०निररीक्षक बृत्त खटखरी तह०
हनुमना जिला रीवा ₹म०प्र०॥ जिसे अन्यत्र अधीनस्थ न्यायालय के रूप में

अधिम० श्री रामलुशील शर्मा
डाटा पेशा/25-9-2017

कराईके आंक करी
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्टी रीवा)

M

श्रीमान्
राजस्व मण्डल
ग्वालियर


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III। विग.। शी.। री.। 2017/3503

जिला-रीवा

पक्षकार का नाम मुं. तिजाआ - शम्भू प्रसाद

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	